

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, सामाजिक या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण पर कोई बलव्यवस्था नहीं होगी तथा न ही निर्माण किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक विधायक को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**एकल खिड़की केवल आवासीय अर्थात्**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 639 दिनांक 29/07/2020

पार्श्वभूत एन.डी.सी. मो निका अरी एवं 0 अंकुर अरी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घात 194 (र) (घ) के तहत आवासीय प्लान नं: 245 खसरा संख्या 335/62,

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश 68, 71 (मैरनगर क्षेत्री नगर) ग्राम

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 33458/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1021/3495, 3496

दिनांक 29/07/2020 को जमा करा दी है ।

29/07/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

*[Handwritten Signature]*  
29/7/2020

जी.पी.  
अतिरिक्त